भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *91

सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943(शक)

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

***91. श्री प्रतापराव जाधव:**
श्री चन्द्र शेखर साहू:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के विस्तार से कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) लाभार्थियों की संख्या में काफी वृद्धि होने के दृष्टिगत, देश में लाभार्थियों के समीप के क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) चिकित्सा परिचर्या अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक मिली सफलता सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया है कि देश में अस्पताल या औषधालय या बीमा सुविधा वाले व्यक्तियों के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जैसी ईएसआईसी की स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना कितनी दूरी पर स्थित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) देश में निजी अस्पतालों और मेडिकल प्रैक्टिशनरों से भी सहायता प्राप्त कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो पैनलबद्ध अस्पतालों और मेडिकल प्रैक्टिशनरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) ईएसआई द्वारा ऐसे विभिन्न अस्पतालों और मेडिकल प्रैक्टिशनरों के साथ हस्ताक्षरित संविदाओं /समझौतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल" के संबंध में श्री प्रतापराव जाधव और श्री चन्द्र शेखर साहू द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 26.07.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भ में संदर्भित विवरण

(क) से (च): वर्ष 2015 से नए भौगोलिक क्षेत्रों में ईएसआई स्कीम के विस्तार के कारण लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के बाद लाभार्थियों के समीप के क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु देश में चिकित्सा परिचर्या अवसंरचना सुदृढ़ करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में कुछ पहलें निम्नवत हैं:-

i. कुल 1160 बिस्तरों के साथ 7 नए ईएसआई अस्पताल स्थापित किए गए हैं।
ii. देश भर में 4990 बिस्तरों के साथ 50 नए ईएसआई अस्पताल स्थापित करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।
iii. अन्य मौजूदा ईएसआई अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है।
iv. 52 नए ईएसआई औषधालयों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।
v. देश भर में 68 नए औषधालय-सह-शाखा कार्यालयों (डीसीबीओ) को कार्यरत किया गया है।
vi. चिकित्सा सेवा प्रदायगी में सुधार लाने और इसे मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को निधि के अंतरण की सीमा को प्रतिवर्ष प्रति बीमित व्यक्ति के लिए 2150 /-रुपये से बढ़ाकर 3000/-रुपये किया गया है। इसमें परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अंतर्गत उपकरण, चिकित्सा जन शक्ति, भवन अवसंरचना पर व्यय करने तथा अन्य अनुषंगी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए प्रति बीमित व्यक्ति 200/-रुपये शामिल हैं।

लाभार्थियों की आवश्यकताओं और व्यावहारिक संभावनाओं पर विचार करते हुए ईएसआईसी ने समय-समय पर किसी स्थल की विनिर्दिष्ट परिधि में अपेक्षित बीमित व्यक्तियों की जनसंख्या की न्यूनतम संख्या के अनुसार ईएसआई अस्पताल स्थापित करने के लिए इसके मानकों में संशोधन किया है।

बीमित व्यक्ति के घर से 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर कोई सीधी चिकित्सा स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में ईएसआईसी ने लाभार्थियों को सीधे ईएसआई पैनलबद्ध अस्पतालों से चिकित्सा लाभ लेने के लिए भी अनुमति दी है। इसके अलावा जहां पर ईएसआई औषधालय उपलब्ध नहीं है वहां पर उपयुक्त स्थानों पर बीमा मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) नियुक्त किए जाते हैं।

ईएसआईसी ने देश भर में 2270 संबद्ध अस्पतालों और 1264 बीमा मेडिकल प्रैक्टिशनरों (आईएमपी) को पैनलबद्ध किया है। ऐसे संबद्ध अस्पतालों और आईएमपी का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

संबद्ध अस्पतालों और आईएमपी के साथ संविदा करार मानक ढांचे के आधार पर ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए जाते हैं।

इसके अलावा ईएसआईसी ने देश में 152 जिलों में अपने पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के साथ सहयोग किया है।

******

अनुबंध

"कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल" के संबंध में श्री प्रतापराव जाधव और श्री चन्द्र शेखर साहू द्वारा पूछे जाने वाले दिनांक 26.07.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 91 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पैनलबद्ध अस्पतालों और बीमा मेडिकल प्रैक्टिशनरों (आईएमपी) की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	**राज्य**	**पैनलबद्ध संबद्ध अस्पतालों (निजी अस्पतालों) की संख्या**	**बीमा चिकित्सा प्रैक्टिशनरों की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	101	36
2.	असम	26	16
3.	बिहार	120	13
4.	चंडीगढ़	13	0
5.	छत्तीसगढ	55	0
6.	दिल्ली	108	0
7.	गोवा	2	4
8.	गुजरात	92	1
9.	हरियाणा	964	2
10.	हिमाचल प्रदेश	15	0
11.	जम्मू और कश्मीर	21	0
12.	झारखंड	71	12
13.	कर्नाटक	170	0
14.	केरल	123	0
15.	मध्य प्रदेश	92	3
16.	महाराष्ट्र	254	817
17.	मेघालय	2	0
18.	मिजोरम	4	0
19.	मणिपुर	1	0
20.	उड़ीसा	27	01
21.	पुदुचेरी	11	0

22.	पंजाब	73	0
23.	राजस्थान	281	52
24.	सिक्किम	1	0
25.	तमिलनाडु	164	0
26.	तेलंगाना	122	46
27.	त्रिपुरा	1	0
28	उत्तर प्रदेश	129	0
29.	उत्तराखंड	18	0
30.	पश्चिम बंगाल	109	261
	कुल	**2270**	**1264**

******